

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 411

दिनांक 12/02/2024

अनवान :-

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

झामनराम

बनाम

हड़वंतसिंह के का.मु.वगौरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 74/2023

दिनांक : 12.02.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र गुमाने का तला के मौजा गुमाने का तला के खेत खसरा सं. 194 रकबा 07.1872 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

दिनांक

12/02/2024

क्रमांक/भू.अ./2024/ 412 to 415

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण झामनराम
3. विप्रार्थीगण हड़वंतसिंह के का.मु.वगौरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा



(सूरजभान विशनोई)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

